राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः– एफ 186 ( ) परावि/लेखा/हडको/ऋण/2012–13/ 897 जयपुर दिनांकः– 19-02-2013

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या...31.... /2012–13)

मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजनान्तर्गत हडको से जिला परिषदों द्वारा योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में लिये गये ऋण के **मूलधन पेटे** वित्तीय वर्ष 2012–13 के चतुर्थ त्रैमास (दिसम्बर 2012 से फरवरी 2013) देय 28.02.2013 तक के भुगतान हेतु राशि 2183.96 लाख रू. (अक्षरे रूपये इक्कीस करोड तिरासी लाख छियानवें हजार मात्र) का अतिरिक्त अनुदान संलग्न सारणीनुसार जिला परिषदों के पी.डी.खातो में हस्तान्तरण किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

मांग संख्या–41	(राशि लाख रू. में)
2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	
196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	
(25)–ग्रामीण बी.पी.एल. आवास	
[01]–सामान्य कार्यकलाप/गतिविधियां	
93–पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	1314.735
मांग संख्या–51	
2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	
196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	
(25)–ग्रामीण बी.पी.एल. आवास	
[02]–विशिष्ट संघटन योजना में कार्यकलाप/गतिविधियां	
93–पूंजीगत परिसम्पतियो के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	501.46
मांग संख्या–30	
2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	
196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	
(25)–ग्रामीण बी.पी.एल. आवास	
[03]–जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना में कार्यकलाप/गतिविधियां	
93–पूंजीगत परिसम्पतियो के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	367.765
योग–	2183.96

(रूपये इक्कीस करोड तिरासी लाख छियानवें हजार मात्र)

उक्त राशि का आहरण सम्बन्धित प्रयोजन के खर्चो के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। यह स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई–डी संख्या 331300127 दिनांक 18.02.2013 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक वित्त (आय—व्ययक) विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न सारणीनुसार राशि रू. 2183.96 लाख (अक्षरे रूपये इक्कीस करोड तिरासी लाख छियानवें हजार मात्र) संबंधित जिला परिषदो के पी.डी. खातों में हस्तान्तरण के राज्यादेश शीघ्र जारी कराने का श्रम करावें।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव (व्यय—5) विभाग, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, आयोजना विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त राशि तत्काल वित्त विभाग की स्वीकृति उपरान्त संबंधित जिला परिषदो के पी.डी. खातों में हस्तान्तरण करने हेतु कोषाधिकारियों को निर्देशित कराने का श्रम करावें।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी जिला परिषद समस्त को भेजकर लेख है उपरोक्त राशि का हडको को देय चतुर्थ त्रैमास के मूल ऋण का पुर्नभुगतान निर्धारित तिथि **28.02.2013** से पूर्व R.T.G.S के माध्यम से दिये जा रहे विवरण अनुसार Union Bank Of India Add. of Bank S.B. 57, Ridhi Tower, Opp. SMS Stadium, Tonk Road, Bapu Nagar, Jaipur Current Account No. 369201010054233 IFSC Code – UBIN0536920 Bank Code-026 Branch Code-536920 MICR Code-302026004 करना सुनिश्चित करावें, अन्यथा विलम्ब के लिए देय ब्याज की व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
10. अधिशाषी अभियन्ता (टी.सी.) पंचायती राज विभाग।
11. सांख्यिकी/अंक मिलान/संकलन/बजट अनुभाग/रक्षित पत्रावली।
12. कम्प्युटर प्रोग्रामर को विभागीय बेव साईट पर डालने एवं ई—मेल करने हेतु।

शासन सचिव एवं आयुक्त